यात्री सुरक्षा सम्बंधी/अतिमहत्वपूर्ण

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक: 2391/एमटी/2019-147एमटी/91-। दिनांक: 05.08.2019

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
   उ0प्र0 परिवहन निगम।
2. समस्त सेवा प्रबन्धक
   उ0प्र0 परिवहन निगम।
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
   उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः-परिवहन निगम के चालक/परिचालकों को अग्निशामक यंत्र चलाने के समुचित प्रशिक्षण के संबंध में।

परिवहन निगम में निगम व अनुबंधित बसों में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था हैं परंतु यह अनुभव में आ रहा है कि उक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करने की समुचित प्रशिक्षण चालक/परिचालक को समय-समय पर नहीं दी जाती हैं जिस कारण आवश्यकता होने पर अग्निशामक यंत्र का उचित प्रयोग न करने की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि सभी डिपोज में अग्निशामक यंत्र के प्रयोग करने का प्रशिक्षण शिविर जनपदीय अग्निशमन विभाग की देखरेख में आयोजित की जाये। साथ ही साथ सभी बसों पर अग्निशामक यंत्र के प्रयोग करने की विधि (फ्लो चार्ट) के माध्यम से अग्निशामक यंत्र रखे जाने के स्थान के ऊपर ही प्रदर्शित की जाये।

प्रथम चरण में दिनांक 15.08.2019 तक समस्त लम्बी दूरी की बसों में यह फ्लो चार्ट प्रदर्शित कर दिया जाये साथ ही साथ जनपदीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से सम्पर्क कर डिपो/बस स्टेशन पर अग्निशामक यंत्र चलाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाये। उक्त शिविर की फोटो/वीडियो प्रधान प्रबंधक (दुर्घटना), मुख्यालय को प्रेषित की जाये साथ ही साथ प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले चालक/परिचालक की सूची भी उपलब्ध कराई जाये।

(डा0 राजशेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सहा0 प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

(डा0 राजशेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com